

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.04.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मोबाइल चोरी के फरार वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 28/29.10.2024 को रात्रि में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सहरोई पंचायत भवन के पास से चोरी के मोबाईल बरामद करते हुए दो अभियुक्त 1. संदीप जायसवाल उर्फ आँचू पुत्र मंगला जायसवाल निवासी जीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली 2. शिवम जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र नन्द लाल जायसवाल निवासी दैहितपुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 291/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त संदीप जायसवाल उर्फ आँचू पुत्र मंगला जायसवाल निवासी जीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली शौच करने के बहाने पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। जिसके फरार होने के पश्चात् थाना हाजा पर मु0अ0सं0 292/2024 धारा 261/262 बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में, विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली व आशुतोष, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम द्वारा फरार अभियुक्त संदीप जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र नन्द लाल जायसवाल निवासी जीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को सकलडीहा चौराहे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से आज दिनांक 30.10.2024 समय 06.00 बजे सुबह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कल दिनांक 29.10.24 को शौचालय का बहाना बनाकर हम दोनो लोग थाना अलीनगर के शौचालय मे गये थे कि पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बाउण्ड्रीवाल फाँद कर भाग गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

संदीप जायसवाल उर्फ आँचू पुत्र मंगला जायसवाल निवासी जीवनपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 291/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
- मु0अ0सं0 292/2024 धारा 261/262 बी.एन.एस. थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

- निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- निरीक्षक रमेश कुमार यादव निरीक्षक अपराध थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- उ0नि0 राम सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- हे0का0 अनन्तदेव यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

थाना चकिया, जनपद चन्दौली

◆ □ थाना चकिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा किये गये वारदात को चकिया पुलिस टीम ने सफल अनावरण करते हुए 03 चोरो को किया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन मे चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, चोरी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया श्री राजीव सिसौदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा मु.अ.सं. 201/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियोग में आज दिनांक 30.10.24 को थाना चकिया पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये एक ई-रिक्शा व अभियुक्तगण 1. चन्दन चौहान पुत्र उमाशंकर चौहान निवासी ग्राम सगहा थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर हाल पता बहादुर चौहान का दामाद निवासी ग्राम गलिमापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली, 2. हिरन उर्फ कैलाश चौहान पुत्र रामशकल चौहान निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली, 3. शौकत अली उर्फ हारुन पुत्र अलीजान निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली को गरला तिराहे से गिरफ्तारी व बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूर्व की घटना-

दिनांक 28/29.10.2024 को ग्राम सरैया से ई-रिक्शा को अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया था। जिसके सन्दर्भ में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 201/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त व गिरफ्तारी का स्थान-

1. चन्दन चौहान पुत्र उमाशंकर चौहान निवासी ग्राम सगहा थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर हाल पता बहादुर चौहान का दामाद निवासी ग्राम गलिमापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली,
2. हिरन उर्फ कैलाश चौहान पुत्र रामशकल चौहान निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली,
3. शौकत अली उर्फ हारुन पुत्र अलीजान निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त चन्दन चौहान का अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 201/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.सं. 173/2003 थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त हिरन उर्फ कैलाश चौहान का अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 201/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु.अ.सं. 34/2007 थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. मु.अ.सं. 164/2011 धारा 379/411 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. मु.अ.सं. 78/2012 धारा 110 जी थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त शौकत अली का अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 201/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चक्रिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1.एक ई- रिक्शा

गिरफ्तारी टीम का विवरण: -

- 1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चक्रिया जनपद चन्दौली।
- 2.उनि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चक्रिया जनपद चन्दौली ।
- 3.हे0का0 नन्दलाल सरोज थाना चक्रिया जनपद चन्दौली ।
- 4.हे0का0 राजू कुमार थाना चक्रिया जनपद चन्दौली ।